

प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय, बसना,

थाना- बसना, जिला- महासमुन्द (छ0ग0)

विषय- मेरे घर बाड़ी पर जबरन ताला तोड़कर अन्दर घुसकर घर बाड़ी पर कब्जा करने एवं अश्लील गाली गलौज, धक्का-मुक्की, बदसलूकी एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में ग्राम- सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव एवं मोखरसाय भार, प्रहल्लाद पटेल, भगताराम ताण्डी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं रनसाय भार पिता बरातू भार, जाति- गांडा, ग्राम- कुड़ेकेल, पटवारी हल्का नंबर- 36, राजस्व निरीक्षक मण्डल- बसना, तहसील- बसना, जिला- महासमुन्द (छ0ग0) का मूल निवासी हूँ। तथा मैं वर्तमान में ग्राम- कुड़ेकेल, में ग्राम कोटवार के पद पर पदस्थ हूँ।

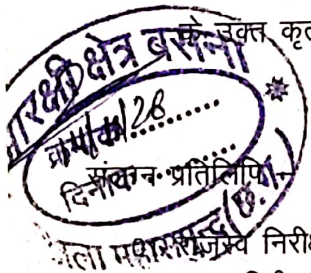
यह कि दिनांक- 09/10/2026 को ग्राम- सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव, एवं मोखरसाय भार द्वारा जबरन मेरे घर पर घुसकर मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को अश्लील गाली गलौज एवं मुझे एवं मेरे पुत्र वेदप्रकाश भार को जबरन धक्का मुक्की एवं गल्ला को पकड़कर जबरन पंचायत भवन ले जाया गया, जहाँ सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर सभी ग्रामवासियों एवं समाज जनों की उपस्थिति में ग्राम- सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव एवं मोखरसाय भार प्रहल्लाद पटेल, भगताराम ताण्डी द्वारा जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया गया। इस घटना से मैं और मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है, एवं ग्राम में जीवन यापन करना असहज मुश्किल कर दिया गया है, जिससे मैं और मेरा परिवार उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर आपके समक्ष उचित न्याय दिलाने हेतु आवेदन पेश किये थे।

यह कि पुनः कल दिनांक- 13/10/2026 को ग्राम- सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव, एवं मोखरसाय भार, प्रहल्लाद पटेल, भगताराम ताण्डी द्वारा मेरे घर बाड़ी घुसकर जिस पर आहाता निर्माण हुआ है, उक्त आहाता में मुख्य गेट में लगे ताले को तोड़कर बलात कब्जा के नियत से मेरी आबादी भूमि खसरा नंबर- 98 के भाग पर जबरन चूना से चिन्हाकित कर निर्माण कार्य करने का दुस्साहस किया जा रहा है, तथा मौके पर मेरे द्वारा मना करने पर जान से मार देने की धमकी एवं अश्लील गाली गलौज की गई, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस सहायता 112 बुलाने पर पुलिस विभाग की गाड़ी तत्काल मौके में पहुंचने पर मौके से सभी आरोपीगण फरार हो गये।

यह कि उक्त संबंध में मेरे द्वारा आपको आरोपीगण के विरुद्ध उचित धाराओं पर कार्यवाही के लिए आवेदन पूर्व में पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। किन्तु आज दिनांक तक आपके कार्यालय थाना बसना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे आरोपीगण का मनोबल बढ़ा हुआ है। तथा कि इनके उक्त कृत्य से मुझे एवं मेरे परिवार को जान माल का खतरा है।

अतः श्रीमान् थाना प्रभारी बसना, जिला- महासमुन्द (छ0ग0) से करबद्ध निवेदन है कि सभी आरोपीगण

के उक्त कृत्य विरुद्ध उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करेंगे।



02. स्थल निरीक्षण पंचनामा, एवं स्थल चिन्हाकित नक्शा की प्रति
03. ग्रामवासियों का पंचनामामय प्रमाण पत्र

रनसाय भार

आवेदक का हस्ताक्षर

रनसाय भार

14/10/2026

ग्राम कोटवार ग्राम- कुड़ेकेल, मोबाईल नंबर- 62655-56038



प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी बसना

थाना- बसना, जिला- महासमुन्द (छ0ग0)

विषय - भूमि विवाद के संदर्भ में मोखरसाय भार एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मानसिक, शारिरिक एवं सामाजिक प्रताड़ना के संबंध में उचित धाराओं पर दण्डात्मक कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं रनसाय भार पिता बरातू भार, जाति- गांडा, ग्राम- कुड़ेकेल, पटवारी हल्का नंबर- 36, राजस्व निरीक्षक मण्डल- बसना, तहसील- बसना, जिला- महासमुन्द छ0ग0 का मूल निवासी हूँ। तथा मैं वर्तमान में ग्राम- कुड़ेकेल, में ग्राम कोटवार के पद पर पदस्थ हूँ।

यह कि वर्तमान में ग्राम कोटवारी भूमि खसरा नंबर क्रमशः- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना में प्रकरण लंबित है, जिसमें आवेदक मैं स्वयं हूँ, तथा अनावेदकगण के नाम पर मेरे बड़े भाई मोखरसाय भार एवं मेरे छोटे भाई मंगलसाय भार की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नि श्यामबाई भार तथा उनका पुत्र ललित कुमार भार, खीरकुमार भार, एवं पुत्री कल्पना भार, यशोदा भार, चम्पा भार चमेली भार, ऋतु भार, दुकलीबाई ताण्डी सभी जाति- गांडा का नाम राजस्व न्यायालय में दर्ज है।

यह कि मेरे दोनो भाई शासकीय सेवक थे, तथा छोटा भाई राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक के पद पर तहसील कार्यालय बसना में पदस्थ थे, तथा अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग करके मेरे नाम पर दर्ज कोटवारी सेवा भूमि खसरा नंबर क्रमशः- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि को तत्कालिक तहसीलदार से मिलीभगत कर बिना किसी हक एवं अधिकार के विधि विरुद्ध ढंग से अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है, तथा वर्तमान में मेरे नाम पर दर्ज शेष कोटवारी भूमि को अनावेदकगण द्वारा पैतृक भूमि बताकर कोटवारी सेवा भूमि का बंटवारा देने के लिये ग्राम सरपंच भरत डड़सेना, पंच बलिराम यादव एवं प्रहल्लाद पटेल द्वारा बार- बार जबरन घर में घुसकर गाली गलौच किया जा रहा है, यदि बंटवारा नहीं दिया गया तो कोटवारी पद से निकालने एवं ग्राम से बहिष्कृत करने की धमकी दी जा रही है।

यह कि आवेदित भूमि खसरा नंबर क्रमशः- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि सदा सर्वदा ग्राम नौकर/सेवा भूमि मद की भूमि थी। जिसकी प्रति संलग्न है।

यह कि मेरे द्वारा मेरी कोटवारी भूमि खसरा नंबर क्रमशः- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि का न्यायालय में जब से प्रकरण भूमि वापसी के संबंध में दर्ज कराया गया है, तब से अनावेदकगण मोखरसाय भार एवं अन्य 08 द्वारा एवं मेरी बहन दुकली बाई ताण्डी द्वारा मुझे शारिरिक मानसिक रूप से प्रकरण वापस लेने हेतु बाध्य किया जा रहा है। मेरे घर जबरदस्ती घुसकर मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और यह बर्ताव बार बार किया जा रहा है।

यह कि मेरे द्वारा काबिज आबादी भूमि जिस पर मैं लगभग 50 वर्ष पूर्व मकान बनाकर अपने सपरिवार निवास करता आ रहा हूँ, उक्त मकान को ग्राम सरपंच द्वारा जबरदस्ती मेरे भाईयों का मकान बताकर मेरे भाईयों के मध्य मेरे नीजी मकान को बराबर- बराबर हिस्से में बांटने के लिए गाली गलौच किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना सरपंच को दिया जा चुका है, उसके पश्चात भी जबरन अनावेदकगणों को मेरे मकान पर जबरन घुसा कर गाली गलौच एवं ग्राम से बहिष्कृत करने की धमकी दी जा रही है। जिससे मुझे मानसिक, शारिरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। विधिक सूचना की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रति,

श्रीमान् अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति थाना प्रभारी महासमुन्द

थाना- महासमुन्द, जिला- महासमुन्द (छ0ग0)

विषय - भूमि विवाद के संदर्भ में ग्राम सरपंच भरतलाल डडसेना एवं पंच बलिराम यादव, प्रह्लाद पटेल द्वारा सामाजिक मानसिक एवं शारिरिक प्रताड़ना के विरुद्ध उचित धाराओं में मामला दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही करने बाबत। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं रनसाय भार पिता बरातू भार, जाति- गांडा, ग्राम- कुड़ेकेल, पटवारी हल्का नंबर- 36, राजस्व निरीक्षक मण्डल- बसना, तहसील- बसना, जिला- महासमुन्द छ0ग0 का मूल निवासी हूँ। तथा मैं वर्तमान में ग्राम- कुड़ेकेल, में ग्राम कोटवारी के पद पर पदस्थ हूँ।

यह कि वर्तमान में ग्राम कोटवारी भूमि खसरा नंबर कमश:- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि तथा आबादी भूमि खसरा नंबर- 98 जिस पर मैं वर्तमान में अपने परिवार सहित विगत 55 वर्षों से निवासरत हूँ, उक्त दोनो भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना में प्रकरण लंबित है जिसमें आवेदक मैं स्वयं हूँ, तथा अनावेदकगण के नाम पर मेरे बड़े भाई मोखरसाय भार एवं मेरे छोटे भाई मंगलसाय भार की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नि श्यामबाई भार तथा उनका पुत्र ललित कुमार भार, खीरकुमार भार, एवं पुत्री कल्पना भार, यशोदा भार, चम्पा भार चमेली भार, ऋतु भार, तथा मेरी बहन दुकली बाई ताण्डी सभी जाति- गांडा का नाम राजस्व न्यायालय में दर्ज है।

यह कि मेरे दोनो भाई शासकीय सेवक थे, तथा छोटा भाई राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक के पद पर तहसील कार्यालय बसना में पदस्थ थे, तथा अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग करके मेरे नाम पर दर्ज कोटवारी सेवा भूमि खसरा नंबर कमश:- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि को तत्कालिक तहसीलदार से मिलीभगत कर बिना किसी हक एवं अधिकार के विधि विरुद्ध ढंग से अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है, तथा वर्तमान में मेरे नाम पर दर्ज शेष कोटवारी भूमि को अनावेदकगण द्वारा पैतृक भूमि बताकर कोटवारी सेवा भूमि का बंटवारा देने के लिये ग्राम सरपंच भरत डडसेना, पंच बलिराम यादव एवं प्रहल्लाद पटेल द्वारा बार- बार जबरन घर में घुसकर गाली गलौच किया जा रहा है, यदि बंटवारा नहीं दिया गया तो कोटवारी पद से निकालने एवं ग्राम से बहिष्कृत करने की धमकी दी जा रही है।

यह कि आवेदित भूमि खसरा नंबर कमश:- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि सदा सर्वदा ग्राम नौकर/सेवा भूमि मद की भूमि थी। जिसकी प्रति संलग्न है।

यह कि मेरे द्वारा मेरी कोटवारी भूमि खसरा नंबर कमश:- 299, 470, रकबा- 0.55, 2.18 हेक्टेयर भूमि एवं आबादी भूमि जिस पर मैं मकान बनाकर विगत 50 वर्षों से रह रहा हूँ, उक्त दोनो भूमि का न्यायालय में जब से प्रकरण दर्ज कराया गया है, तब से अनावेदकगण मोखसरसाय एवं अन्य 08 एवं मेरी बहन दुकली बाई ताण्डी के पक्ष में जबरदस्ती समझौता कराने हेतु ग्राम सरपंच भरत डडसेना, पंच बलिराम यादव एवं प्रहल्लाद पटेल द्वारा मुझे शारिरिक मानसिक रूप से प्रकरण वापस लेने हेतु बाध्य किया जा रहा है। मेरे घर जबरदस्ती घुसकर मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और यह बर्ताव बार बार किया जा रहा है। मुझे लगभग 1 वर्ष से ग्राम सरपंच भरतलाल डडसेना, बलिराम यादव एवं प्रहल्लाद पटेल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।

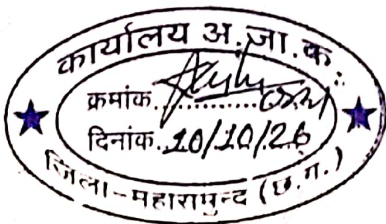
यह कि कल दिनांक- 07/10/2026 को मेरे घर पर मेरे अनुपस्थिति में मेरे बड़े भाई मोखरसाय भार, श्यामबाई भार, भोपेन्द्र भार, डेहरीन भार, खीरकुमार भार, श्यामबाई भार, भगताराम ताण्डी, दुकलीबाई ताण्डी पुष्पसागर ताण्डी, रमाकांति ताण्डी सरपंच भरत डडसेना, बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल द्वारा जबरन घर घुसकर कोटवार के नाम पर दर्ज शेष कोटवारी भूमि को आपसी बंटवारा कर एवं राजस्व न्यायालय में दर्ज कोटवारी भूमि के संबंध में प्रकरण तत्काल वापस लेकर एवं मेरा घर का बंटवारा जिसमें विगत 50 वर्षों से अपने सपरिवार काबिज निवासरत हूँ, उक्त मकान को मेरे भाईयों को बलात कब्जा दिलाने के इरादे से दिनांक- 09/10/2026 तक समझौता करने के लिए दबाव बनाकर गाली गलौच किया गया, तथा मेरी सहमति के बिना दुर्भावनावश मेरे भाईयों के कहने पर ग्राम सरपंच भरत डडसेना पंच बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल द्वारा दिनांक- 09/10/2026 को बजरन ग्राम पंचायत भवन में मिटिंग बुलाया गया है, तथा ग्राम सरपंच द्वारा यदि कोटवारी भूमि के संबंध में समझौता नहीं करेगा तो तत्काल कोटवार पद से एवं ग्राम से निष्काषित करने की धमकी दी गई। और यह कार्य सरपंच भरत डडसेना एवं बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल द्वारा बार- बार ऐसा करके मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है।

यह कि आज दिनांक- 08/10/2026 को मोखरसाय भार एवं ग्राम सरपंच भरत डडसेना द्वारा पुनः मेरी सहमति के बगैर ग्राम पंचायत भवन में भूमि प्रकरण को वापसी लेने हेतु जबरन मीटिंग रखी गई, जिसमें ग्राम के उप सरपंच मिलन साव एवं सभी पंचगणों द्वारा ग्राम सरपंच भरतलाल डडसेना को उक्त भूमि विवाद न्यायालय में लंबित होने के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर निराकरण संभव नहीं हो पायेगा कहकर समझाया गया एवं मीटिंग का बहिष्कार किया गया, किन्तु ग्राम सरपंच भरतलाल डडसेना द्वारा मुझे एवं मेरे बेटे वेदप्रकाश भार को न्यायालय में दर्ज सभी प्रकरण तुरंत आज ही वापस लाकर ग्राम स्तर पर निराकरण करने के लिए अभद्र भाषा में जाति सूचक गाली गलौच कर धमकाया गया, तथा मैं तुझे कोटवारी नौकरी से बर्खास्त कर ग्राम से भी बर्खास्त एवं दाना पानी बंद कर देने की धमकी दी गई। तथा मीटिंग का कार्य ग्राम सरपंच भरत डडसेना बार- बार करता रहता है, जिससे मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक एवं सामाजिक पीड़ा होती है।

अतः श्रीमान् थाना प्रभारी बसना से करबद्ध निवेदन है कि अनावेदकगण मोखरसाय भार, श्यामबाई भार, डेहरीनबाई भार, भगताराम ताण्डी, दुकलीबाई ताण्डी ग्राम सरपंच भरत डडसेना, बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल के विरुद्ध उचित धाराओं में मामला दर्ज कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करेंगे।

संलग्न प्रति

01. न्यायालय में दर्ज प्रकरण की प्रति
02. कोटवारी भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज की प्रति
03. ग्राम पंचनामामय प्रमाण पत्र
04. छोगो शासन कोटवारी भूमि आदेश की छायाप्रति



रन साय भार

आवेदक का हस्ताक्षर

रनसाय भार

ग्राम कोटवार ग्राम- कुड़ेकेल

मोबाईल नंबर- 62655-56038